

प्ररूप सं. 12ख*

[नियम 26क देखिए]

धारा 192(2) के अधीन 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में आय के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

कर्मचारी का नाम और पता
 स्थायी खाता संख्यांक
 निवासीय प्रस्थिति

क्रम संख्यांक	नियोजक (नियोजकों) का नाम और पता/पते	आय-कर अधिकारी द्वारा आबंटित किया गया नियोजक का (नियोजकों के) अस्थायी खाता संख्यांक	नियोजक का (नियोजकों के) स्थायी खाता संख्यांक	नयोज की अवधि	धारा 17 में यथापरिभाषित वेतन की विशिष्टियां जो वर्ष के दौरान कर्मचारी को संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए देय हो			स्तंभ 6, 7 और 8 का योग	जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि की बाबत, जिनको धारा 80गं लागू होती है, कटौती की गई (ब्यौरे दें)	वर्ष के दौरान काटे गए कर की कुल रकम (धारा 203 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें)	टप्पणिया
					स्तंभ 7 और 8 में दर्शाई जाने वाली रकमों को छोड़कर वेतन की कुल रकम	कर से प्रभाय सीमा तक मकान किराए भत्ते, यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों की कुल रकम [नियम 2क के साथ पठित धारा 10(13क) और 10(14) देखिए]	परिलब्धियों का मूल्य और कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अनुवृद्धि की रकम (उपाबंध में पूरा ब्यौरा दें)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
 कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

स्थान

.....
 कर्मचारी के हस्ताक्षर

उपाबंध

[प्ररूप सं. 12ख का स्तंभ 8 देखिए]

परिलब्धियों के मूल्य और कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अनुवृद्धि की रकम की विशिष्टियां

कर्मचारी का नाम और पता

स्थायी खाता संख्यांक

अवधि : 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष

कर्मचारी का	नियोजक का	किराया मुक्त वास-सुविधा का मूल्य या नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई वास-सुविधा के लिए किराए में दी गई किसी रियायत का मूल्य (संगणना का आधार बताएं) [नियम 3(क) और 3(ख) देखिए]						
नाम	अस्थायी खाता संख्यांक/ स्थायी खाता संख्यांक	जहाँ निवास स्थान सुसज्जित है						
		जहाँ निवास- स्थान असुसज्जित है	मूल्य, मानो निवास- स्थान असुसज्जित है	फर्नीचर की लागत (टेलिविजन सेटों, रेडियो सेटों, रेफ्रिजरेटर्स, अन्य घरेलू साधनों और वाता- नुकूलन संयंत्र या उपस्कर सहित) या किराया प्रभार, किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लेने की दशा में	फर्नीचर का परिलब्धि मूल्य (स्तंभ 5 का 10%) या संदेय वास्तविक किराया प्रभार	स्तंभ 4 और 6 का योग	नियोजक द्वारा संदत्त किराया, यदि कोई हो	परिलब्धि का मूल्य (स्तंभ 3 से स्तंभ 8 घटाकर या स्तंभ 7 से स्तंभ 8 घटाकर जो भी लागू हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(अगले पृष्ठ पर जारी)

उपाबंध

(जारी)

क्या नियोजक द्वारा नि-शुल्क या रियायती दर पर कोई वाहन उपलब्ध कराया गया है या जहाँ कर्मचारी को नियोजक के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किराए पर ली गई एक या अधिक मोटर कारों का उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, वहाँ परिलब्धि का अनुमानित मूल्य (ब्यौरा दें) [नियम 3 (ग) देखिए]	कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई घरेलू और/या व्यक्तिगत सेवाओं के लिए नियोजक द्वारा संदत्त पारिश्रमिक (ब्यौरा दें) [नियम 3(ख) देखिए]	कर के प्रभाय सीमा तक घरेलू छुटी मुक्त या रियायती यात्राओं और अन्य यात्राओं का मूल्य (ब्यौरा दें) [धारा 10(5)(ii) के साथ पठित नियम 2ख देखिए]	नियोजक द्वारा नि-शुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए ऐसे अन्य फायदे या सुख-सुविधा का, जो पूर्ववर्ती स्तंभों में सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कि घरेलू उपभोग के लिए गैस, विद्युत या जल का प्रदाय, नि-शुल्क शिक्षा सुविधाएं, कुटुंब के लिए परिवहन, आदि का अनुमानित मूल्य (ब्यौरा दें) [नियम 3(घ), 3(ङ) और 3(च) देखिए]	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक का नियोजक का अभिदाय [देखें अनुसूची 4 भाग क]	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में निर्धारित के खाले में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत दर से अधिक जमा किया गया ब्याज [देखें अनुसूची 4 भाग क]	प्ररूप सं. 12ख के स्तंभ 8 में अग्रनीत किया गया स्तंभ 9 से 15 का योग

10	11	12	13	14	15	16

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर